उत्तर प्रदेश सरकार।
विधायी अनुभाग–1

संख्या 2899/सत्रह–वि0–1–1(क)–8–1983
लखनऊ 13 अक्टूबर, 1983

अधिसूचना*

विविध

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक,1983 पर दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 के रूप में, सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय––एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

---

*नोट– जैसा कि अधिनियम दिनांक–13 जनवरी,1984, दिनांक–5 दिसम्बर,1986 दिनांक–2 फरवरी, 1987 दिनांक–6 अक्टूबर,1989, दिनांक–16 अगस्त, 1997, दिनांक–13 मार्च,2003 तथा दिनांक–28 मार्च,2013 द्वारा समय–समय पर हुए संशोधनानुसार संशोधित किया गया।

(यथा संशोधित)

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2—— इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रथा या रूढ़ि, संविदा, विलेख या प्रलेख, किसी न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी किसी स्कीम में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले हिन्दू होंगे

3—— कोई व्यक्ति, जब तक वह हिन्दू धर्मावलम्बी न हो, न्यास परिषद या कार्यपालक समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मंदिर के किसी कर्मचारी के रूप में होने या रहने के लिए पात्र नहीं होगा और जब कोई व्यक्ति हिन्दू न रह जाये तब वह उस पद पर न रह जायेगा और उस रूप में किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करना बन्द कर देगा।

4—— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा ˙ अपेक्षित न हो,——

(1)"नियत दिनांक"का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें;

(2)''अर्चक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मंदिर से किसी पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी, पंडा पुरोहित या सेवक भी सम्मिलित है;

(3)''न्यास परिषद्'' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित न्यास परिषद् से है;

(4) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' का तात्पर्य धारा (16) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(5) ''विन्यास'' का तात्पर्य समस्त स्थावर या जंगम सम्पत्ति से है जो मंदिर की हो या उसके अनुपोषण या अनुरक्षण या सुधार के लिए या मंदिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए या उससे संबंधित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गई हो और उसमें मंदिर में प्रतिष्ठित देव प्रतिमाएं, मंदिर का परिसर और मंदिर की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को मंदिर या उसमें प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं के लिए दिया गया या देने के लिए आशयित सम्पत्ति का दान भी सम्मिलित है;

———————————————————————————

(6)''कार्यपालक समिति'' का तात्पर्य धारा 19 के अधीनगठित कार्यपालक समिति से है;
(7)'' विहित'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये अधिसूचित आदेश द्वारा विहित से है;
(8) ''धर्मार्थ अर्पण'' का तात्पर्य मंदिर की सीमाओं के भीतर या अन्यत्र द्रव्य या पदार्थ के ऐसे अर्पण से है, जो मंदिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध हो और उसमें डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट भी सम्मिलित है जिसका अभिप्राय या आशय यह हो कि उसका वैसा उपयोग मंदिर में किया जाय;
(9) ''मंदिर'' का तात्पर्य वाराणसी नगर में स्थित आदि विश्वेश्वर के मंदिर से है, जो श्री ''काशी विश्वनाथ मंदिर'' के नाम से विख्यात है, और सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और हिन्दू मात्र के लिए समर्पित या उनके लाभार्थ है या ज्योर्तिलिंग के साधिकार सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त गौण मंदिर, उपासना स्थल, गौण उपासना स्थल और समस्त अन्य देव प्रतिमाओं के स्थान मण्डप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक निर्माण और उससे सम्बद्ध भूमि और नियत दिनांक के बाद उसमें जो परिवर्धन किया जाय वह भी सम्मिलित है;
(10) ''मंदिर निधि'' का तात्पर्य धारा 23 के अधीन गठित मंदिर निधि से है।

अध्याय—दो
न्यास परिषद्

मंदिर और उसके विन्यास का विहित होना

5——मंदिर और उसका विन्यास श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह में विहित होगा।

न्यास परिषद का गठन

6——(1) नियत दिनांक से मंदिर और उसके विन्यास का शासन और प्रशासन न्यास परिषद में निहित होगा जिसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद कहा जायेगा।

———————————————————————————

(2) न्यास परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

[1]"(क) न्यास परिषद का अध्यक्ष एक ऐसा गैर सरकारी हिन्दू होगा, जो धर्मशास्त्र में निष्णांत हो और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यकलापों के प्रबंध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।"

(ख) श्री जगत गुरू शंकराचार्य; श्रृंगेरी;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग– पदेन;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग– पदेन;

[2]"(ड.) सचिव और उनकी अनुपस्थित में विशेष सचिव, यदि कोई हो,उत्तर प्रदेश सरकार, धर्मार्थ कार्य विभाग–पदेन"

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय, विधायी विभाग, चक्रानुक्रम में ऐसी रीति से जो विहित की जाय–पदेन;

*(छ) निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश– पदेन;

(ज) आयुक्त, वाराणसी मण्डल–पदेन;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी–पदेन;

(ञ) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविघालय, वाराणसी–पदेन;

(ट) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मंदिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखते हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ठ) हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात तीन प्रख्यात हिन्दू विद्वान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

**

1– उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन)अधिनियम,2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2003)द्वारा प्रतिस्थापित

2– उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ (संशोधन) अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1986) द्वारा प्रतिस्थापित

नोट– *लोप करके पढ़ा जाय, और पश्चातवर्ती खण्डों के संख्यांकन कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज)'',''(झ)'',''(ञ)'',''(ट)'' तथा ''(ठ)'' के स्थान पर क्रमशः कोष्ठक तथा अक्षर ''(छ)'', ''(ज)'', ''(झ)'', ''(ञ)', तथा ''(ट)'' पढे जांय। (यह संशोधन अधिसूचना दिनांक 13–1–1984 द्वारा किया गया।)

** धारा——(6) की उपधारा (2) में खण्ड (ट) के पश्चात खण्ड (ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी————–पदेन बढ़ा हुआ पढ़ा जाय।

(यह संशोधन अधिसूचना दिनांक 06 अक्टूबर, 1989 द्वारा किया गया)

3. यदि न्यास परिषद का कोई सदस्य तदैव अपने कर्तव्य का पालन इस तथ्य के कारण नहीं कर सकता है कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीनस्थ जो निकटतम व्यक्ति उपलब्ध हो, वह समय विशेष पर, न्यास परिषद का सदस्य होगा।

4. न्यास परिषद निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उपरोक्त नाम से जो वाद प्रस्तुत कर सकता है या जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. न्यास परिषद का गठन और उसमें प्रत्येक परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

पदावधि

7––(1)– न्यास परिषद के पदेन सदस्य से भिन्न [1]"अध्यक्ष या कोई सदस्य" अपने नाम–निर्देशन की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधिके लिए पद धारण करेगा;

परन्तु धारा (6) की उपधारा (2) के [2]{***} खण्ड(ख) में विर्निदिष्ट सदस्य अपने जीवन–पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह और भी कि कोई सदस्य पुनःनाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।

(2)– न्यास परिषद के [3]"अध्यक्ष या किसी सदस्य" के पद में आकस्मिक रिक्ति को जो मृत्यु, पद त्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा हो, पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जैसी धारा 6 में विर्निदिष्ट है।

न्यास परिषद के किसी सदस्य को हटाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति

8––[4] " (1) राज्य सरकार न्यास परिषद के अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो पदेन सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर हटा सकती है।

———————————————————————————

1–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–3 सन् 2003) द्वारा अंतः स्थापित

2–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–3 सन् 2003) द्वारा विलोपित

3–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–3 सन् 2003) द्वारा अंतः स्थापित

4–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–3 सन् 2003) द्वारा प्रतिस्थापित

(2) न्यास परिषद का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरूद्ध कारण दर्शित करने का युक्तिसंगत अवसर न दे दिया जाय।"

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकसर का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

न्यास परिषद की बैठक

9——(1) न्यास परिषद की बैठक सामान्यतया प्रत्येक तिमाही में एक बार हो ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे न्यास परिषद के द्वारा अवधारित किया जाय या , यथास्थिति, अध्यक्ष के द्वारा निदेशित किया जाए।

(2) न्यास परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य करेगा जिसे न्यास परिषद द्वारा अवधारित किया जाए।

[1]"(3) धारा (6) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विर्निदिष्ट सदस्य किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है और उक्त उपधारा के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) मे विर्निदिष्ट सदस्य, यदि वह न्यास परिषद की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो उसके विभाग में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।

1— अधिसूचना दिनांक 06.10.1989 द्वारा संशोधित।

(4) न्यास परिषद की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायेगा, जब तक कम से कम पांच सदस्य जिसके अन्तर्गत उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी भी है, उपस्थित न हों।"

(5) न्यास परिषद कार्य–सम्पादन के लिए किसी ऐसी प्रकिया का अनुसरण करेगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय।

(6) न्यास परिषद की किसी बैठक में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत किये जायेंगे और मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो न्यास परिषद का सचिव होगा, न्यास परिषद के कार्यवाही वृत्त के सम्यक् अभिलेख और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेगा।

न्यास परिषद के कार्य और कार्यवाही का अधिप्रमाणी–करण

10––न्यास परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय और न्यास परिषद के कार्य और कार्यवाही के अभिलेख को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या यदि न्यास परिषद ऐसा प्राधिकृत करे तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्ति होने पर भी न्यास परिषद के कार्य करने की शक्ति

11––न्यास परिषद का कोई कार्य या कार्यवाही न्यास परिषद के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि होने के कारण अविधि– मान्य नहीं होगी।

न्यास परिषद के सदस्यों को भत्ता

12––राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर न्यासपरिषद के अध्यक्ष या सदस्यों को ऐसे भत्ते ऐसी रीति से और ऐसे समय पर मन्दिर निधि से दिये जाने के लिए निदेश दे सकती है जैसी वह अवधारित करें।

न्यास परिषद का मंदिर और उसकी सम्पति पर कब्जा

13––(1) न्यास परिषद मंदिर और उसके विन्यास की या उसकी अंगीभूतसमस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ और अन्य आस्तियों का कब्जा लेने और रखने का हकदार होगी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में यथा उपरोक्त कोई ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति,द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ या अन्य आस्तियां है; इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा किये जाने पर उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष न्यायोचित अपवादों के अधीन रखते हुए, प्रस्तुत करेगा और देगा।

न्यास परिषद के कर्तव्य

14–– इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद का यह कर्तव्य होगा कि:–

(क) मंदिर में श्री काशी विश्वनाथ और अन्य विग्रहों को दैनिक या सावधिक, सामान्य या विशेष, पूजा, सेवा और कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के हिन्दू शास्त्रों और धर्म ग्रन्थों और प्रथा के अनुसार सम्यक् और उचित सम्पादन की व्यवस्था करें;

(ख) मन्दिर में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार जिसमें प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और समुचित स्तर की स्वच्छता भी सम्मिलित है, उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करें;,

(ग) मन्दिर की निधि, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण और अन्य सम्पत्ति की निरापद अभिरक्षा सुनिश्चित करें,

(घ) मंदिर की सम्पत्ति और ऐहिक कार्यों के परिरक्षणऔर प्रबन्ध के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें;

(ड) विन्यास निधि का व्यय दानकर्ताओं की इच्छा जहां तक उसकी जानकारी हो या निश्चित रूप से की जा सके, उसके अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें;

(च) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों द्वारा उचित ढंग से पूजा किये जाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करें;

(छ) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा और चिकित्सा संबंधी सहायता के लिए व्यवस्था करें;

(ज) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों के लाभार्थ निम्न–लिखित कार्य करें––

(एक) उनके आवास के लिए भवनों का निर्माण;

(दो) सफाई संबंधी निर्माण कार्य;

(तीन) संचार साधनों में सुधार;

(चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें;

(झ) वेतन भोगी कर्मचारियों को उपयुक्त परिलब्धियों के भुगतान की व्यवस्था करें;

[1] "(ञ) मन्दिर के चढ़ावे में प्राप्त बेलपत्र आदि से बने भस्म श्रद्धालुओं में निःशुल्क वितरित करें;

(ट) वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध करे, शोध से संबंधित सुअवसर प्रदान करें, निःशुल्क शोध केन्द्र स्थापित करें, निःशुल्क शिक्षण कक्षाएं आयोजित करें, वैदिक संस्कृति को तकनीकी शिक्षा से समन्वित करने के लिए निःशुल्क तकनीकी शिक्षा स्थापित करें और रोजगार के लिए सुअवसर सुलभ कराये, समान उद्‌देशीय संगठनों की सहायता से समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करे, एवं वैदिक संस्कृति की शिक्षा हेतु विद्यालय खोलें;

1– उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–12 सन् 2013) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ठ) निर्धन, निर्बल तथा असहाय श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र खोले और उसकी व्यवस्था करे;

(ड) श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क अन्नक्षेत्र की सुविध सुलभ कराए;

(ढ) श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं खोले एवं निःशुल्क उपलब्ध कराये और निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करें तथा वैदिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से संबंधित शोध केन्द्रों की भी स्थापना करें;

(प) श्रद्धालुओं में निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था करे,चढावे में प्राप्त वस्त्रादि एवं अन्य सामग्री को निर्धन और असहाय लोगों में वितरित करे;

(त) न्यास और समय–समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं बैठकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनजागरण हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं निःशुल्क वितरण करें;

(थ) ऐसे सभी अन्य कार्य करें जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यकलापों के कुशल प्रबन्धन और तीर्थ यात्रियों और पुजारियों की सुविधा के लिए आनुषंगिक और सहायक हों।"

न्यास परिषद की शक्ति

15––न्यास परिषद समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिये आवश्यक या आनुषांगिक हों और विशेष रूप से उसे यह शक्ति होगी कि––

(क) मंदिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के संपादन के लिए फीस निर्धारित करें;

(ख) ऐसी सूचना और लेखा की मांग करें जो उसकी राय में यह उसका समाधान करने के लिये आवश्यक है कि मंदिर और उसके विन्यास का अनुरक्षण और प्रशासन उचित रीति से किया जा रहा है और उसकी निधि का विनियोग उन प्रयोजनों के लिए हो रहा है जिनके लिये उनका अस्तित्व है या उनकी स्थापना की गयी थी;

(ग) मन्दिर के परिसर के भीतर और मन्दिर के ऐसे क्षेत्र में जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करेंः–

(एक) किसी मादक पेय या औषधि का विक्रय, कब्जा, उपयोग या उपभोग;

(दो) मांस या मांसयुक्त किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय, कब्जा बनाया जाना या उपभोग;

(तीन) किसी पशु या पक्षी का किसी प्रयोजन के लिए वध करना या उसकी जान लेना या उसे विकलांग करना;

(चार) ताश, पाशा, चौपड़, रूपया या जुआ खेलने के लिए किसी अन्य उपकरण से जुआ खेलना;

(घ) ऐसी अन्य बातों को करना या करने के लिये निदेश देना जो विहित की जाय।

अध्याय––तीन

मन्दिर अधिष्ठान

मंदिर के अधिकारी

[1]"16––(1) राज्य सरकार मन्दिर के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को जैसा वह आवश्यक समझती है, नियुक्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तों, जिसमें नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उन्हें देय वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं ऐसे होंगें जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं; परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में ऐसे अधिकारियों के अधिकार, उनके नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे कि उनके लिए अलाभकर हों। "

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य

17––(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और न्यास परिषदके नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मंदिर के एहिक कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होगा।

1– उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–15, सन् 1997) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि––

(क) न्यास परिषद और कार्यपालक समिति के विनिश्चय और आदेश को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वित करें;

(ख) मन्दिर में धर्मार्थ अर्पण के उचित संग्रह, अनुरक्षण और निस्तारण की व्यवस्था करें और उसका पूर्ण और उचित लेखा रखें;

(ग) मंदिर के समस्त अभिलेख, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, धन, मूल्यवान प्रतिभूति और सम्पत्ति की अभिरक्षा और उनके परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें;

(घ) न्यास परिषद के कार्यवाही वृत्त का अभिलेख रख और अनुरक्षण करें;

(ङ) ऐसे निर्माण–कार्य या आपूर्ति के लिए टेण्डर मांगे और टेण्डर को स्वीकार करे जिसका मूल्य या धनराशि पांच हजार रूपये से अधिक न हो;

(च) मंदिर के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और अनुशासन भंग के मामलों में उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करें;

(छ) ऐसी अन्य सभी बातें करें जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिये अपेक्षित हों।

आपातकाल में मुख्य कार्य पालक अधिकारी की शक्ति

18– (1) आपातकाल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी कार्य के निष्पादन या किसी बात के लिये किये जाने के लिए निदेश दे सकता है जो उस वर्ष के बजट में उपबन्धित नहीं है या जो उसकी राय में मन्दिर या उसके विन्यास के परिरक्षण के लिये या मन्दिर में आने–जाने वाले तीर्थ यात्रियों या पूजा करने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिये या मंदिर में पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अनुष्ठान के सम्यक् सम्पादन के लिए तुरन्त आवश्यक और अपरिहार्य है और या भी निदेश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी बात के किये जाने के खर्च का भुगतान मंदिर निधि से किया जायगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस धारा के अधीन किये गये कार्य की आख्या, न्यास परिषद और कार्यपालक समिति को तुरन्त देगा और उस कार्य के कारणों को भी बतायेगा और तत्पश्चात् कार्यपालक समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यास परिषद ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे।

कार्यपालक समिति

19– (1) एक कार्यपालक समिति होगी जो न्यास परिषद या राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, मंदिर के कार्यों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:——

(क)	आयुक्त, वाराणसी मण्डल	––	सभापति
(ख)	जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी	––	सदस्य
(ग)	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,वाराणसी	––	सदस्य
(घ)	प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी	––	सदस्य
(ड.)	धारा (6) की उपधारा(2) के खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट न्यास परिषद के सदस्य	––	सदस्य पदेन
(च)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	––	सदस्य सचिव

————————————————————————

''(ट)'' के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर ''(ञ)'' पढ़ा जाय (अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 1984 द्वारा संशोधित)

(3) यदि कार्यपालक समिति का कोई सदस्य तदैव अपना कर्तव्य इस तथ्य के कारण सम्पादित नहीं कर सकता कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीन उपलब्ध निकटतम व्यक्ति समिति में कार्य करेगा।

(4) कार्यपालक समिति को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए सहयोजित करने की शक्ति होगी।

(5) कार्यपालक समिति ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कृत्य का सम्पादन करेगी, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदान किये जाय या न्यास परिषद् के द्वारा उसे सौंपे जायं।

मंदिर के वर्तमान कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

20——(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथाशीघ्र एक अनुसूची तैयार करेगा जिसमें मंदिर के अधिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों के पदनाम, कोटिक्रम और कर्तव्य का उल्लेख होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची को तैयार करते समय मुख्य कार्य पालक अधिकारी किसी हित की, जिसका दावा कोई व्यक्ति करे, प्रकृति के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को या मन्दिर सम्बन्धी किसी प्रथा या रूढ़ि को मान्यता देगा और कार्यान्वित करेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची उन प्रस्तावों सहित जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को देय वेतन या भत्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखे जाय न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसी अनुसूची न्यास परिषद द्वारा उसमें किये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए अनुमोदित किये जाने पर प्रवृत्त होगी और ऐसे व्यक्ति सेवायोजन की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जो विहित की जाय।

मंदिर के कर्मचारी

21– (1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद या यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पदनाम सहित जैसा विहित किया जाय नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जायें।

---

(2) कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तों से जिनमें अर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्तें भी सम्मिलित हैं, नियंत्रित होंगे जैसी विहित की जाएं।

(3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर न दिया गया हो।

अर्चक

22–– (1) मन्दिर से सम्बद्ध या उसमें सेवारत प्रत्येक अर्चक मन्दिर में पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और उससे सम्बद्ध अन्य सामान्य या विशेष, दैनिक या सावधिक सेवा के उचित सम्पादन और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदैव कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिए ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हो, और ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य परिदेय या परिलब्धि का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अनुज्ञात हो।

अध्याय–चार

सम्पत्ति और लेखा

मन्दिर निधि

23– (1) "श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर निधि" के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा जो न्यास परिषद् में निहित होगा और जिसका प्रशासन उसके द्वारा किया जायेगा और उस निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्–

(क) मन्दिर की जंगम और स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय;

(ख) श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह या मन्दिर में किसी अन्य विग्रह को प्रदत्त या प्रदत्त करने के लिए आशयित धर्मार्थ अर्पण;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में कोई अंशदान;
(घ) मन्दिर में या उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई दान या पूण्यार्थ दान;
(ड.) जनता, स्थानीय प्राधिकारी या संस्था द्वारा दिया गया कोई अन्य उपहार या अंशदान;
(च) इस अधिनियम के अधीन आरोपित सभी जुर्माना और शास्ति;
(छ) इस अधिनियम के अधीन सभी वसूली।

(2) मन्दिर निधि का उपयोग इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

[1]"(3) देव प्रतिमाओं, न्यास परिषद् या मन्दिर निधि को देय कोई विनिश्चित धनराशि, वसूली की किसी अन्य उपलब्ध रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर, भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।"

कर्मकाण्ड या समारोह हेतु व्ययमान का निर्धारण

24– (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियत दिनांक से तीन मास के भीतर मन्दिर हेतु व्ययमान और मन्दिर से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटनीय धनराशि के निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
(2) ऐसे प्रस्ताव अर्चकों से परामर्श के पश्चात् और अर्पण की प्रथा के अनुसार या अन्यथा पूजा या अर्पण की सामान्य या विशेष, दैनिक या सावधिक, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए तैयार किया जायेगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विहित किये जाएं।

1–अधिसूचना दिनांक 06.10.1989 द्वारा स्थापित।

(4) न्यास परिषद् प्रस्ताव को ऐसी रीति से प्रकाशित कराएगी जैसी विहित की जाए और कोई हितबद्ध व्यक्ति अपनी आपत्तियों या सुझावों को ऐसे प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

(5) आपत्तियों और सुझावों पर जो उपधारा (4) के अधीन प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् न्यास परिषद, ऐसे प्रस्तावों पर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को और मन्दिर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उचित समझे।

(6) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति विहित रीति से प्रकाशित की जायेगी।

(7) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम होगा।

(8) उपधारा (5) के अधीन निश्चित व्ययमान का समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है, और उपधारा (1) से (5) के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(9) तत्समय प्रवृत्त व्ययमान मन्दिर निधि पर प्रथम प्रभार होगा और उपर्युक्त के सिवाय उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

बजट 25–– (1) मुख्य कार्य पालक अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए प्राक्कलित आय और व्यय का (जिसे आगे बजट कहा गया है) एक विवरण–पत्र न्यास परिषद् को ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाय और न्यास परिषद् उपान्तर के बिना या ऐसे उपान्तर के साथ जिसे वह उचित समझे बजट का अनुमोदन कर सकती है।

(2) प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी–

(एक) मन्दिर में विग्रह की पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का उचित सम्पादन,

(दो) मन्दिर के समस्त दायित्वों का सम्यक् निर्वहन,

(तीन) काम चलाऊ बचत पूंजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण,

(चार) तीर्थ यात्रियों, पूजा करने वालों या मन्दिर में हितबद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिए किया जाने वाला प्रबन्ध,

(पांच) मन्दिर और उससे सम्बद्ध भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार; और

(छः) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाए।

(3) न्यास परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् बजट राज्य सरकार को ऐसे दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) बजट स्वीकृत करने के पूर्व राज्य सरकार अपना यह समाधान करेगी कि विहित काम चलाऊ बचत पूंजी के अनुरक्षण और मन्दिर और उसके विन्यासों के समस्त दायित्वों को पूरा करने के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार को बजट के किसी भाग का उपान्तर करने की शक्ति होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था की गई है।

---

(5) राज्य सरकार का बजट को स्वीकृत करने वाला विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे दिनांक तक संसूचित किया जायगा जो विहित किया जाय और उसके अभाव में यह समझा जायगा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट किसी उपान्तर के बिना स्वीकृत कर दिया गया है।

(6) न्यास परिषद के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह कोई व्यय करे जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट में व्यवस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है।

(7) जब किसी नई सेवा के लिए जिसकी प्रकल्पना बजट में नहीं की गई है, अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रस्तावित व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और उपधारा (1) से (6) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे।

(8) यदि कोई व्यक्ति मन्दिर की सम्पत्ति की आमदनी से कोई भुगतान किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर या अन्यथा किसी हित के कारण पाने का हकदार है जो उसे मन्दिर के कार्यों के प्रशासन में है तो ऐसा भुगतान उसको उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में अपेक्षित व्यय को यथाविधि पूरा करने के बाद किया जायगा और ऐसा भुगतान करने में आवश्यक समानुपातिक समायोजन भी किया जा सकता है।

नियमित लेखा का रखा जाना

26—— न्यास परिषद नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करे और ऐसे विवरण सहित, जो विहित किया जाय, रखवाएगी।

लेखा—परीक्षा

27——(1) प्रति वर्ष या यदि राज्य सरकार किसी मामले में ऐसा निदेश दे तो उससे कम अवधि में भी ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा की परीक्षा करायी जाएगी।

(2) ऐसी लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा या उसके निदेश के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायगी।

————————————————————————————

(3) ऐसे लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और लेखा परीक्षा का व्यय मन्दिर निधि से राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जायगा।

(4) मन्दिर के कार्यों के प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षकों के समक्ष ऐसे सभी लेखा, अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करें या करायें और उनको ऐसी सभी सूचनाएं प्रस्तुत करें जो अपेक्षित हों, और उनको ऐसी सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करें जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

(5) लेखा परीक्षा को पूरा करने के पश्चात् लेखा परीक्षक एक आख्या जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किए जाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा और ऐसी आख्या की प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित करेगा।

(6) लेखा परीक्षक के द्वारा इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं को इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर ठीक किया जायगा और उसकी आख्या राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी।

<u>अधिभार</u>

28——(1) यदि धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, राज्य सरकार का विचार है कि न्यास परिषद के किसी सदस्य ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अवैध, अनियमित या अनुचित व्यय किया है या उपेक्षा या दुराचार से मन्दिर के धन या अन्य सम्पत्ति की हानि की है या उसे बरबाद किया है तो वह न्यास परिषद के ऐसे सदस्य को या सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकती है कि वह कारण दर्शित करे कि उसके विरूद्ध अधिभार का आदेश क्यों न पारित किया जाय और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, इस प्रकार व्यय की गई धनराशि को या इस प्रकार हानि पहुंचाई गई या बरबाद की गई सम्पत्ति की धनराशि या मूल्य को प्रमाणित कर सकती है और निदेश दे सकती है कि ऐसी धनराशि की वसूली उससे व्यक्तिगत रूप से की जाय।

———————————————————————

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यास परिषद के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध पारित अधिभार के आदेश से लेखा या किसी अन्य विषय के लिए जिसका निस्तारण ऐसे आदेश द्वारा अन्तिम रूप से नहीं किया गया है, बाद संस्थित करने में रूकावट नहीं होगी।

(3) अधिभार की धनराशि को इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह भू–राजस्व का बकाया हो।

सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण संबंधी उपबन्ध

29––(1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई स्थावर सम्पत्ति मन्दिर के लिए और उसकी ओर से अर्जित नहीं की जायगी और मन्दिर की या उसके किसी प्रयोजन के लिए विन्यस्त किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जायेगा।

[1]" (2) मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण निम्नलिखित की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा;–

(क) अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहॉ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रूपये तक हो,

(ख) कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहॉ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रूपये से अधिक किन्तु दो लाख पचास हजार रूपये से अनधिक हो,

(ग) न्यास परिषद की स्वीकृति के, जहॉ सम्पत्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक किन्तु पॉच लाख रूपये से अनधिक हो,

(घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और न्यास परिषद की स्वीकृति के, जहॉ सम्पत्ति का मूल्य पॉच लाख रूपये से अधिक हो।"

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक उसका यह विचार न हो कि सौदा मन्दिर के लिए आवश्यक या लाभदायक है और उसका प्रतिफल युक्तिसंगत और उचित है।

1–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2013) द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण के लिए कोई प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत किया जायगा जैसा विहित किया जाय।

(5) राज्य सरकार अपना विनिश्चय ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संसूचित करेगी और यदि कोई विनिश्चय ऐसी अवधि में संसूचित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है।

धन उधार लेने पर निर्बन्धन

30—— मन्दिर के लिए और उसकी ओर से कोई धन राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति से उधार नहीं लिया जायगा।

संविदा

31—— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाओं को निष्पादित और हस्ताक्षरित करेगा और सभी क्रय करेगा;

परन्तु किसी कार्य के निष्पादन या कोई आपूर्ति करने के लिए संविदा के प्रसंग में जिसकी धनराशि या मूल्य दस हजार रूपये से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

अध्याय–पांच

निरीक्षण

निरीक्षण कराये जाने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति

32––(1) राज्य सरकार को मन्दिर के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी विषय के बारे में निरीक्षण या जांच, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे वह उचित समझे, कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार विनिश्चय करे कि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराई जाय तो वह न्यास परिषद को सूचना देगी और न्यास परिषद के द्वारा नाम–निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और तदैव सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को सिविल न्यायालय की समस्त शक्ति प्राप्त होगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का परीक्षण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने, और साक्षियों की उपस्थिति बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों की प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम को ऐसे निदेशों सहित जो वह उचित समझे, न्यास परिषद को संसूचित करेगी।

(5) न्यास परिषद उपधारा (4) के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन करेगी और ऐसे समय में जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे इस निमित्त कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करेगी।

निदेश देने की शक्ति

33–– राज्य सरकार इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले या संबंधित विषयों के बारे में ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास परिषद का कर्तव्य होगा।

अध्याय—छः

शास्ति

मन्दिर सम्पत्ति का कब्जा लिए जाने में प्रतिरोध या अवरोध के लिए दण्ड

34—— जो कोई धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन न्यास परिषद या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा या प्राधिकार के अधीन कब्जा लिए जाने में साशय प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करता है या कराता है, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

न्यास परिषद के कतिपय निदेशों के उल्लंघन के लिए दण्ड

35—— जो कोई धारा 15 के खण्ड (ग) के अधीन दिए गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

मन्दिर के कर्मचारी लोक सेवक होंगे

36— न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मन्दिर का कर्मचारी जब इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा हो या कार्य करने का अभिप्राय रखता हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

प्रशासन आख्या

37— (1) न्यास परिषद् प्रतिवर्ष राज्य सरकार को मन्दिर के कार्यों के प्रशासन के बारे में आख्या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) इस धारा के अधीन तैयार की गई आख्या विहित रीति से प्रकाशित की जाएगी और यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

कुछ मामलों में दायित्व से छूट

38— न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति के किसी सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए या करने का अभिप्राय रखने वाली किसी बात के लिए नहीं लाया जाएगा या लायी जाएगी।

अभिलेख मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति

39— राज्य सरकार मन्दिर के कार्य से सम्बन्धित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और यदि सन्तुष्ट हो कि न्यास परिषद्, कार्यपालक समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी का कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

लोक अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि या उद्धरण दिया जाना

40— सभी लोक अधिकारी जिनकी अभिरक्षा में मन्दिर सम्बन्धी कोई अभिलेख, रजिस्टर, आख्या या अन्य दस्तावेज या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति हो, न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिलिपि या उद्धरण देंगें।

तलाशी और अधिग्रहण

41— (1) इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज या भौतिक पदार्थ का कब्जा लेने के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी परिसर में, किसी युक्तिसंगत समय पर प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने या लिवाने की शक्ति होगी।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन ली जाने वाली तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगें।

वर्तमान सम्पत्ति का उपयोग

42— नियत दिनांक के ठीक पूर्व मन्दिर और उसके विन्यास की या उसके अंगीभूत समस्त सम्पत्ति और आस्तियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता रहेगा जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा था या ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् उपयोग किए जाने का आशय था।

अपवाद

43— इस अधिनियम की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में किसी अधिकार को जिसका दावा वह कर रहा हो, स्थापित करने के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही करने से प्रवारित नहीं होगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

44— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती हैं जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

नियम बनाने की शक्ति

45— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

विनियम बनाने की शक्ति

46— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद अपने कार्यों के संचालन से सम्बन्धित किसी विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए विनियम बनाए जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन विनियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

47— (1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0प्र0 अध्यादेश सं0 20 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।